


## निर्णय

खेत खसरा नम्बर 140. तादादी 5.99 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 174. तादादी 5.81 हैक्टेयर वाकेरोही कूनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी का अशुद्ध नाम धनदास पुत्र संतोषदास के स्थान पर शुद्ध नाम खूमदास पुत्र संतोकदास किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.7.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।



  
(दिव्या)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)  
श्रीडूंगरगढ

